

पटना विश्वविद्यालय
अभिषद की बैठक दिनांक 09.01.2019 का वृत्त
उपस्थिति

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. प्रो० (डॉ०) रास बिहारी प्रसाद सिंह, कुलपति, सभापति के आसन पर | 3. डॉ० एन० के० झा |
| 2. प्रो० डॉली सिन्हा | 5. डॉ० सुधाकर प्रसाद सिंह |
| 4. डॉ० जी० के० पलाई | 7. डॉ० पी० के० पोद्धार |
| 6. डॉ० नवीन कुमार आर्य | 9. डॉ० अजय कुमार पाण्डेय |
| 8. डॉ० पुनम सिंह | 11. श्री अब्दुल कर्यूम अंसारी |
| 10. डॉ० गोविन्द कुमार | |
| 12. डॉ० खगेन्द्र कुमार | |

1. दिनांक 06.10.2018 एवं 20.11.2018 (विशेष बैठक) को हुई अभिषद की बैठक के वृत्त की पुष्टि ।

सर्वसम्मति से दिनांक 06.10.2018 एवं 20.11.2018 (विशेष बैठक) को हुई अभिषद की बैठक के वृत्त को पुष्ट करने का निर्णय लिया गया ।

2. दिनांक 06.10.2018 एवं 20.11.2018 (विशेष बैठक) को हुई अभिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन ।

सर्वसम्मति से दिनांक 06.10.2018 एवं 20.11.2018 (विशेष बैठक) को हुई अभिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर की कार्रवाई प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया ।

3. विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 13.10.2018 में लिये गये संकल्पों पर विचार ।

सर्वसम्मति से विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 13.10.2018 में लिये गये संकल्पों को अनुमोदित किया गया ।

4. अभिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डा० पवन कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना लॉ कॉलेज, पटना द्वारा पटना विश्वविद्यालय सेवा से दिये गए त्याग पत्र से संबंधित अधिसूचित, अधिसूचना ज्ञाप संख्या जी/4568 दिनांक 08.10.2018 के अनुमोदन पर विचार ।

सर्वसम्मति से अभिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डा० पवन कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना लॉ कॉलेज, पटना द्वारा पटना विश्वविद्यालय सेवा से दिये गए त्याग पत्र से संबंधित अधिसूचित, अधिसूचना ज्ञाप संख्या जी/4568 दिनांक 08.10.2018 को अनुमोदित किया गया ।

:० (५०५)


17 JAN 2019

8. अन्य विषय -

- (1) Current Science Association Journal के Institutional Membership Subscription पर विचार किया गया तथा इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित subscription charge पटना विश्वविद्यालय के P.U. Library Fund से किया जायगा।
- (2) पटना विश्वविद्यालय में Institute of Foreign Language की स्थापना पर विचार किया गया तथा इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- (3) पटना विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय एवं सम्बद्ध संस्थान, सभी महाविद्यालय एवं संस्थान में पदों के सृजन की अनिवार्यता पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा पदों के सृजन हेतु जो पत्र शिक्षा विभाग को दिया गया है उसे अनुमोदित किया जाता है।
- (4) प्रो० पी० पोद्दार के निजी प्रस्ताव पर अभिषद के सदस्यों ने सहमति जतायी और विचार किया कि यह कर्मचारियों के प्रोन्नति का चूँकि पुराना मामला है अतः इस पर एक Sub-Committee बनाकर इस समस्या का यथाशीघ्र निदान किया जाय।

अनुमोदित ।

Ras Bhanubhakta
(रास बिहारी प्रसाद सिंह) १०.१.१९
कुलपति

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ABJ ०९.०१.२०१९
(एन० के० झा)
का/भैषज्य कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना।